

## क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में विकास खण्ड-चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नरसिंहडांडा से भगीना भण्डारी मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी।

प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०  
चम्पावत।

अधिशारी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)  
चम्पावत

तहसीलदार  
लो०नि०वि०  
जिलाधिकारी

राज्य पत्त पुरहित  
राज्य उच्च निरीक्षक  
वेद  
तहसील  
जनपद-  
सादावा